



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15072026-274510
CG-MH-E-15072026-274510

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3652]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3652]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेल्वे)

अधिसूचना

मुंबई, 10 जुलाई, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 7A के तहत

का.आ. 3814(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, “तडालीघुस- दोहरीकरण परियोजना के बीच नई दोहरी लाइन (14.11 किमी)” की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र.सं.	सक्षम प्राधिकारी	तहसील	जिला
1	उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी चंद्रपूर	चंद्रपूर	चंद्रपूर

[फा.सं. G197/Tadali-Ghugus Doubling (14.11 Kms)/7A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th July, 2026

Under clause 7A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 3814(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**New Double line between Tadali-Ghugus Project (14.11 Kms)**” in **Chandrapur District** in the state of Maharashtra Mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S.N.	Competent Authority	Tehsil	District
1	Sub Divisional and Land Acquisition Officer, Chandrapur	Chandrapur	Chandrapur

[F. No. G197/Tadali-Ghugus Doubling (14.11 Kms)/7A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Con.)